

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/944

दिनांक:- 23-1-17

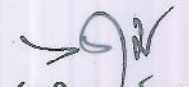
उपकोषाधिकारी,
उपकोष कार्यालय,
विधानसभा, जयपुर

विषय :- श्री धर्मेन्द्र कुमार इंदोरिया, कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके विभाग में कार्यरत श्री धर्मेन्द्र कुमार इंदोरिया, कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरण के क्रम में लेख है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार इंदोरिया को वित्त (नियम) विभाग, के मेमोरेन्डम संख्या F.14(88)FD/Rules/2008-I दिनांक 06.10.2015 के प्रावधान अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात कार्मिक के तीसरी संतान की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें एसीपी देय होने की तिथि से 5 वर्ष तक स्वीकृति योग्य नहीं है तथा विभागीय आदेश संख्या 2670-2692 दिनांक 03.02.2015 द्वारा जारी परिनिन्दा के दण्ड के प्रभाव के कारण 1 वर्ष तक और वंचित रखे जाने के फलस्वरूप द्वितीय एसीपी दिनांक 31.03.2017 को स्वीकृति योग्य होगी।

भवदीय


(प्रदीप मौर्युर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/944

दिनांक:- 23-1-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
2. उपनिदेशक (एसीपी), विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)